शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय

डोंगरगढ़

जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

नैक द्वारा मूल्यांकित महाविद्यालय ग्रेड - बी सी.जी.पी.ए. 2.21

प्रवेश विवरणिका

Visit us at : www.gnpgcollege.in
Email : collegedgg@gmail.com
Phone : 07823-296011

हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग से स्वच्छता के लिए महा. को मिला तृतीय स्थान, मान. ताम्रध्वज साहू मंत्री छ.ग. शासन एवं कुलपति महोदय से सम्मान प्राप्त करते हुए

वाणिज्य विभाग द्वारा "शोध प्रविधि – परियोजना निमार्ण" विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला

मातृभाषा के बिना मौलिक प्रतिभा का विकास संभव नहीं – डॉ. विनय पाठक

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी ने छात्र-छात्राओं को बताया मतदान का महत्व

पैदल रैली निकालकर – नगरवासियों को दिया बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं का संदेश

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थी हुए उद्यमिता के प्रति जागरूक

वार्षिक मिलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह - 2019-20

वार्षिक मिलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह - 2019-20

महाविद्यालय में रोजगार प्लेसमेन्ट कैंप आयोजित
ओमेगा फायनेंसशियल कंपनी में
महाविद्यालय के 10 छात्र-छात्राओं का चयन

नेहरू महाविद्यालय रक्तदान शिविर आयोजित

तीन दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर संपन्न

नेहरू महाविद्यालय में कैरियर गाइडेंस पर
एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

ब्यूटीशियन एवं मेहंदी में 45 दिवसीय रोजगार प्रशिक्षण

नेहरू महाविद्यालय में एन.सी.सी. के छात्रों ने किया पौधारोपण

छात्र-छात्राओं को दे रहे सफल उद्यमी बनने के गुर

एक दिवसीय नि: शुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले में एन.एस.एस. के स्वयं सेवकों ने किया सहयोग

महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं घरेलू उद्योग पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

शासकीय नेहरू महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के छात्र-छात्राओं को कराया गया शैक्षणिक भ्रमण

प्राचार्य के कलम से .....

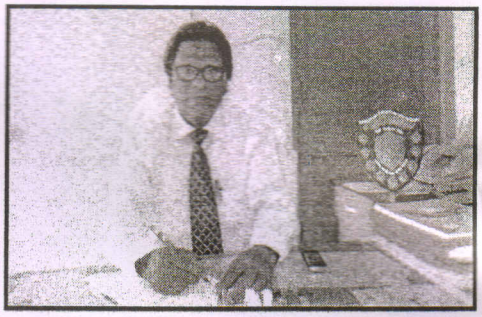

इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1964 में नगर के दानदाताओं के अथक प्रयास से निजी महाविद्यालय के रुप में स्नात्तक स्तर पर वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ हुई। इस महाविद्यालय को शासन के अधीन वर्ष 1973 में आधिपत्य किया गया। महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में अध्यापन कार्य का आरम्भ महाविद्यालय के स्थापना वर्ष से ही किया जा रहा है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में तीन संकाय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में अध्यापन कार्य संचालित है एवं 10 विषयों जैसे राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, भौतिकी, प्राणीविज्ञान, गणित, गणित एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ संचालित की जा रही है। साथ ही यहां तकनीकी कोर्स के अन्तर्गत पी.जी.डी.सी.ए. का अध्यापन कार्य वर्ष 2013 से संचालित है। वर्तमान सत्र में स्नातक स्तर पर 1315 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 323 छात्र-छात्राओं सहित कुल 1638 छात्र-छात्राऐं अध्ययनरत है। जिसमें 918 छात्राएं अध्ययनरत है। महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक गतिविधियों की जाँच एवं मूल्यांकन हेतु यु. जी. सी. की स्वायत संस्था (NAAC) नैक द्वारा 2015 में मूल्यांकन किया गया जिसमें महाविद्यालय को CGPA 2.21 अंक के साथ ग्रेड B प्रदाय किया गया। वर्तमान में महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ में 10 प्राध्यापक, 19 सहायक प्राध्यापक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ में एक क्रीड़ा अधिकारी, एवं ग्रंथपाल का पद स्वीकृत है। जिसमें से वर्तमान में प्राध्यापक के पूरे 10 पद तथा स्वीकृत 19 सहायक प्राध्यापक में से 13 पद रिक्त है। छात्रों की पठन-पाठन में सुविधा हेतु इन रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति कर अध्यापन कार्य संचालित किया जा रहा है। इस महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रों के लिए रजत/स्वर्ण पदक हेतु दस हजार रुपये दान स्वरुप प्रदान किए गए है। जिनकी ब्याज की राशि से रजत पदक प्रदान किए जाते हैं।

सत्र 2017-18 में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की प्रावीण्य सूची में एम. एस. सी. भौतिकी में कु. सिमरन कौर 76.48 प्रतिशत प्रथम स्थान, कु. ऋतु देवांगन 74.08 प्रति. चतुर्थ स्थान, कु. नेहा सनोदिया 72.05 प्रतिशत आठवां, आकाश दूबे 71.25 प्रतिशत नौवा स्थान तथा एम. ए. इतिहास में नागेश कुमार ने 64.06 प्रतिशत के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तथा सत्र 2018-19 में एम. कॉम. एवं एम.एस.सी. भौतिकी में प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा रहा है। इसी प्रकार सत्र 2018-19 में एम.एस.सी. भौतिक में कु. नितिशा कमाले 75.67 प्रतिशत चतुर्थ स्थान, कु. नमिता निषाद 70.92 प्रतिशत नौवा स्थान तथा एम. कॉम में कु. ट्विकल अग्रवाल 74 प्रतिशत तृतीय स्थान, सुरेश कुमार वर्मा 72.15 प्रतिशत चतुर्थ स्थान, कु. रमनदीप कौर भाटिया 71 प्रतिशत के साथ प्रवीण्य सूची में आठवां स्थान प्राप्त किया। इन सभी छात्र-छात्राओं ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय एवं नगर का नाम रोशन किया है।

महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्रा ब्रुषारानी जंघेल ने एडवेंचर लीडर ट्रैकिंग कोर्स शिमला में -8 डिग्री सेल्सियम 8750 फीट ऊंची चोटी शिमला में फ्तेह किया एवं 50 किमी. ट्रैकिंग किया। साथ ही जुमारिंग, रेपलिंग, रिवरक्रासिंग, जिपलाइन व अन्य सभी आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग माउंटेनर के रुप में 2019 में 26 जनवरी को पूरा किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला व एंडवेचर लीडर (नेशनल व स्टेट) के रुप में बनाया गया। जिसमें ब्रुषारानी ने फिजीकल व रिर्टन परीक्षा माइनस 8 डिग्री में रहकर ए-ग्रेड के साथ उत्तीर्ण की। साथ ही महिलाओं के लिए किये जा रहे सामाजिक कार्य व रक्तदान के क्षेत्र में नि:शुल्क शिक्षा के तहत नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया।

मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि उच्च शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव तथा प्रगति का एक सशक्त माध्यम है। हमारा प्रयास है कि इस महाविद्यालय के विद्यार्थी सफलता की बुलंदियाँ छुएँ, अनुशासित तथा नैतिकता के ऊँचे आदर्शों से प्रेरित हों और अपना, अपने परिवार, समाज, देश व सम्पूर्ण विश्व के विकास में अपना योगदान दें। इस हेतु महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। गैर - शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत खेलकूद, एन.एस.एस. एवं एन.सी.सी. की इकाई भी महाविद्यालय के आरंभिक काल से संचालित है।

गृह विज्ञान विभाग द्वारा महाविद्यालय की 75 छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 90 दिवसीय ब्यूटी पार्लर एवं मेंहदी का प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार आत्मरक्षा हेतु महिला प्रकोष्ठ द्वारा दो दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्रशिक्षक मुकेश साहू द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा के गुरु सिखायें गए।

इस वर्ष क्रीड़ा विभाग द्वारा खेलकूद गतिविधियों के अंतर्गत जिला स्तर पर कुल 103 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस महाविद्यालय से राज्य स्तर पर कुल 28 छात्र-छात्राऐं एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कुल 06 छात्र-छात्राओं - रमन साहू, एम. ए. अर्थशास्त्र शतरंज उड़िसा महेश सिन्हा बी कॉम भाग दो शतरंज उड़िसा, अमिश मरकाम - बी. ए. भाग एक फुटबाल उड़िसा, धनु वर्मा बी. कॉम. भाग एक - फुटबाल उड़िसा, वैभव चौधरी बी. कॉम. भाग एक - कबड्डी उडिसा, ओम कुमार ने कबड्डी उड़िसा में भाग लेकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया है।

वाणिज्य विभाग द्वारा 6 नवम्बर 2019 को शोध प्रविधि विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न जिलो के महाविद्यालयों से विषय विशेषज्ञ, प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित हुए। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय उद्यमिता जागरुकता शिविर के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को उद्यमिता जागरुकता केन्द्र जागरुकता शिविर का आयोजन उद्यमिता जागरुकता विकास केन्द्र के सौजन्य से किया गया।

रेडक्रास के अन्तर्गत महाविद्यालय में रक्त दान शिविर का आयोजन आर्शीवाद ब्लड बैंक के सहयोग से माननीय नवाज खान, अध्यक्ष जनभागीदारी समिति के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ जिसमें लगभग 60 से अधिक छात्र-छात्राओं ने रक्तदान किया।

महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंध पर एक दिवसीय एक दिवसीय कार्यशाला ग्राम कल्याणपुर में जल संरक्षण पर जनजागरुकता रैली, साफ-सफाई कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय को स्वच्छता के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा ग्राम कलकसा में 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी पर ग्रामीणों से चर्चा, 6 जनवरी को स्वास्थ परीक्षण एवं दवाईयां वितरण, छात्र-छात्राओं द्वारा स्कूली बच्चों की कक्षा सहित खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरुकता कार्यक्रम हेतु रैली, निबंध प्रतियोगिता एवं प्रेरक नारो का आयोजन किया गया। इसके अलावा केन्द्र शासन की महिला शक्ति केन्द्र योजना के माध्यम से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार डोंगरगांव विकासखंडों के पंचायतों में किया गया।

महाविद्यालय की एनसीसी ईकाई द्वारा महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु, वृक्षारोपण एवं राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत साफ-सफ्रई पौधों में पानी सिंचाई कार्य एवं गोदग्राम अछोली के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की हाथ धुलाई कर बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरुक किये। स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरुकता कार्यक्रम, महाविद्यालय के एनसीसी ईकाई से दो कैडेट्स एन.आई.सी. कैम्प पेडापुरम आंध्रप्रदेश एवं एक कैडेट्स थल सेना कैम्प बिलासपुर में चयनित होकर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार एन.सी.सी. के 10 कैडेट्स ने रक्तदान कर सामाजिक सेवा के प्रति प्रेरणादायी संवेदना व्यक्त की है। शासन द्वारा संचालित महिला शक्ति योजना के अंतर्गत एन.सी.सी. कैडेट्स ने शासन की योजना को प्रचारित एवं प्रसारित करने ग्रामीण सर्वे किये है। कैडेट्स ने देश के एतिहासिक महापुरुषों के प्रति सम्मान एवं आदर प्रदर्शित करने महापुरुषों की प्रतिमा की सफाई, धुलाई कार्य किये गए है। इसी प्रकार एनसीसी कैडेट्स द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रतीक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर नगर में एकता रैली निकाली गई।

पुस्तकें मनुष्य की सर्वाधिक विश्वसनीय एवं सर्वश्रेष्ठ मित्र है। इसमें वह शक्ति है, तो मनुष्य को अंधकार से प्रकार की ओर ले जाती है। तथा कठिन समस्याओं के निदान के लिए बल प्रदान करती है। ग्रंथालय किसी भी महाविद्यालय की आत्मा होती है। महाविद्यालय के ग्रंथागार में वर्तमान में 37775 पुस्तकें एवं कई संदर्भ ग्रंथ है। महाविद्यालय में 10 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित है जिसमें प्रत्येक विषय हेतु विभागीय ग्रंथालय है।

बी. पी. एल. योजना के तहत निर्धन छात्र-छात्राओं को पूरे सत्र भर पुस्तकें निर्गमित की जाती है। पुस्तकालय के वाचनालय में 8 दैनिक समाचार पत्र एवं 12 पत्र-पत्रिकाऐं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा अपने विषय से संबंधित अकादमिक गतिविधियाँ जैसे कार्यशाला निबंध प्रतियोगिता, परिचर्चा, प्रश्नमंच आदि भी वर्षभर संचालित की गई है।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत –

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीनता क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक एवं मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यता नहीं कर सकता / सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाए या डरा – धमकाकर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अनुरोध , गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरुप :–

रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :–

स्पष्ट आदेश –

- ❖ सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए।
- ❖ सामूहिक कवायद करने के लिए।
- ❖ सीनियरों के क्लास – नोट्स उतारने के लिए ।
- ❖ अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए ।
- ❖ सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए ।
- ❖ अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए।
- ❖ नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए ।
- ❖ शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- ❖ कामुक संकेतार्थ, वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- ❖ नंगा करना, चुंबन लेना आदि ।
- ❖ अन्य अश्लीलताएं करना।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड –

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा – उत्सव भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/– तक

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़

जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

प्रिय विद्यार्थी हम नए सत्र - 2020-21 में आपका हार्दिक स्वागत करते है, हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस संस्था के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को बेहतर बनायेंगे।

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले संकाय एवं विषयों की जानकारी :-

महाविद्यालय में तीन संकायों - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर कक्षाएं संचालित होती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है -

कला संकाय :-

स्नातक स्तर पर कला संकाय में - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल एवं गृह विज्ञान विषयों में अध्यापन की व्यवस्था है, स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, इतिहास, एवं राजनीति शास्त्र , हिन्दी साहित्य में अध्ययन की व्यवस्था उपलब्ध है।

विज्ञान संकाय :-

स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित के अध्यापन की व्यवस्था है। स्नात्तकोत्तर स्तर पर गणित, प्राणीशास्त्र एवं भौतिक शास्त्र विषय का अध्ययन किया जा सकता है।

वाणिज्य संकाय :-

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य विषयों में सभी अनिवार्य विषयों के साथ कुछ वैकल्पिक विषयों के कम्प्यूटर एप्लीकेशन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

प्रत्येक संकाय/विषय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों की संख्यात्मक जानकारी :-

1.	बी. ए. भाग - 1	280	9.	एम.काम. प्रथम सेमेस्टर	30
3.	बी. काम. भाग - 1	150	10.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (भूगोल)	25
3.	बी. एस. सी. भाग 1 (बायो)	160	11.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (अर्थशास्त्र)	30
4.	बी. एस. सी. भाग 1 (गणित)	130	12.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (इतिहास)	30
5.	पी. जी. डी. सी. ए.	25	13.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (हिन्दी)	30
6.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (भौतिक)	20	14.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (अंग्रेजी)	30
7.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (प्राणीशास्त्र)	20	15.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (राजनीति)	30
8.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (गणित)	30			

संबद्धता :-

यह महाविद्यालय हेमचंद वि. वि. दुर्ग से संबद्ध है सभी परीक्षाएं वि. वि. द्वारा संचालित है।

संस्था में गठित विभिन्न समितियों की जानकारी :-

संस्था के सुचारु रुप से परिचालन हेतु प्रतिवर्ष कुछ विशेष समितियों का गठन किया जाता है, जो प्राचार्य के निर्देशन में अपना कार्य संपन्न करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

महाविद्यालय में समिति

छात्रों, शिक्षकों व प्रशासन में तालमेल बनाए रखने एवं चुस्त प्रबंधन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर अपने कार्यों व दायित्वों का निर्वहन करती है :-

1. प्रवेश समिति
2. स्थानीय प्रबंधन समिति,
3. क्रय समिति
4. संविदा सहा. प्रा. चयन समिति
5. छात्रसंघ समिति
6. सम्मिलित निधि कोष समिति
7. छात्रवृत्ति समिति
8. अनुशासन समिति
9. सांस्कृतिक एवं युवाउत्सत समिति
10. यू.जी.सी.समिति
11. ग्रंथालय समिति
12. क्रीड़ा समिति
13. अपलेखन एवं वाचनालय समिति
14. सामान्य जांच समिति
15. छात्रा कक्षा व्यवस्था समिति
16. समय - सारिणी समिति
17. शिकायत निवारण समिति
18. विद्युत एवं जल व्यवस्था समिति
19. त्रैमासिक जांच अंकेक्षण समिति
20. रेडक्रास समिति
21. स्टाफ कौन्सिल समिति
22. एन्टी रैंगिंग एवं एन्टी रैगिंग स्काव्ड
23. महिला प्रकोष्ठ
24. महाविद्यालय स्वच्छता, विकास एवं निर्माण मूल्यांकन समिति
25. महाविद्यालय पत्रिका समिति
26. सायकल स्टैण्ड एवं केंटीन समिति
27. परियोजना निर्माण एवं शोधगतिविधिया समिति

-: नियमित विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-

- विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जिसकी रसीद दी जाती है, के अतिरिक्त कोई भी शुल्क की मांग किये जाने पर प्राचार्य को सूचित करें।
- विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र लगाकर आना अनिवार्य है।
- नियमित कक्षाओं के दौरान बरामदे में चहल-कदमी न करें।
- परिसर स्वच्छ व साफ सुथरा रखें। टायलेट को साफ-सुथरा बनाए रखें,
- खाली कालखण्डों में विद्यार्थी ग्रंथालय/वाचनालय में जाकर दैनिक अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करें।
- स्टैण्ड में ही वाहन रखें एवं ताला लगायें अथवा महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
- शालिन वेशभूषा के साथ महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करें।
- शिक्षक-अभिभावक बैठकों में अपने अभिभावक/पालक को अवश्य लायें।
- ध्यान रहे पूरा महाविद्यालय परिसर सी.सी. कैमरे की निगरानी में है।
- शैक्षणिक/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्रीड़ा गतिविधियों में अवश्य भाग लेवें।
- यूथ रेडक्रास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना में सहभागी बनें।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर
छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त सत्र 2020–21

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ. ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेगें।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना –

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' मे हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मुल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मुल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा मे बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अंतर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा

''उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एस.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 04 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देगें।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- (एक सौ रुपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6. महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेगें कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करगें जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7. ''राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है।'' अत: उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.काम./बी. एससी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम.काम./ एम. एमसी. (गृहविज्ञान)/ एम. ए. - प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी. एससी, उत्तीर्ण आवेदकों को एम. एससी/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमितप्रवेश की पात्रता होगी सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल. एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल. बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल. एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल. एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 % (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40 %, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 % होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 % अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50 %) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस. ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्णआवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार - ''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनएसक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए और एनएसक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जतायी है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।''

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम/ बी. एससी. / बी. एच. एससी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय/ तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक / ऐटी -केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 07 के खण्ड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षो में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे

छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यत: 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रयोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजें गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधितम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों मे प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/ महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। नि:शक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10. 1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा :-

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग - अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीकेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों /तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।
परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो उसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र – पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती / नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय – समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाइ गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी.(सी.) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन. सी. सी./एन. एस. एस./स्काउट्स :–

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/ रेन्जर्स /रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन. एस.एस. / एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन. सी. सी. / एन. एस. एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन. सी. सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन. सी. सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन. सी. सी./एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थी को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रुपांकन प्रतियोगिताऐं –

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्व विद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म. प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ़/म. प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आर्थोरिटी ऑफ इंण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा संत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि :–

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण – पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगें। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण – पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारण किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समक्षक या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालयों में पीएच्.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयाविधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पीएच्.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रुप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण – पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेगें। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागे होगा।

16. विशेष –

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेगें, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार – आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय – समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

आचरण संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर - उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दगलत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 % उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वस्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाईयों के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक एवं प्री-फाइनल परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी समय - सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-

विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम प्रावधान :-

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य संक्षम है। अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है :-

(1) निलंबन (2) निष्कासन (3) वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

महाविद्यालय में उपलब्ध विषय एवं उनका चयन :-

स्नातक स्तर -

1. कला संकाय :- बी. ए. भाग - 1, 2 एवं 3 कक्षाओं में अध्ययन हेतु आधार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विषय है - पर्यावरण, हिन्दी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक विषयों के अंतर्गत निम्नांकित पांच समूहों में से किन्ही तीन समूहों के एक - एक विषय प्रथमवर्ष में चयन करने होंगे

   (अ) हिन्दी साहित्य (ब) राजनीति शास्त्र / गृह विज्ञान (स) अर्थशास्त्र (द) भूगोल (इ) इतिहास / अंग्रेजी साहित्य
2. विज्ञान संकाय :- बी. एस. सी. भाग - 1,2 एवं 3 कक्षाओं में अध्ययन हेतु आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गणित समूह हेतु भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित तथा जीव विज्ञान समूह हेतु प्राणिशास्त्र, रसायन शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र अनिवार्य विषय है।
3. वाणिज्य संकाय :- बी. काम. भाग 1, 2 एवं 3 कक्षाओं में अध्ययन हेतु आधार पाठ्यक्रम के अलावा सभी अनिवार्य विषय प्रथम वर्ष में चयन करने होंगे, वैकल्पिक विषय के अंतर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय की सुविधा है।

   एम. कॉम. - 4 सेमेस्टर हेतु महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा समुह अ का चयन किया गया है महाविद्यालय को राजनीति शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता दी गई है।

स्नातकोत्तर स्तर :-

स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाए जाने वाले प्रश्न - पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष निश्चित करेंगे। इस महाविद्यालय में निम्नांकित विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

कला संकाय (एम.ए.):-

(1) भूगोल (2) राजनीति शास्त्र (3) इतिहास (4) अर्थशास्त्र (5) हिन्दी साहित्य (6) अंग्रेजी साहित्य

(2) वाणिज्य संकाय (एम.कॉम.) - 1. वाणिज्य

(3) विज्ञान संकाय (एम.एस.सी.) - 1. गणित, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र

छात्रवृत्ति :-

महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों का विवरण कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां :-

इस महाविद्यालय में निम्नांकित पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां संचालित की जाती है।

(1) एन.सी.सी. (2) एन.एस.एस. (3) रेड क्रास (4) क्रीड़ा प्रतियोगिता (5) साहित्यिक गतिविधियां (6) सांस्कृतिक गतिविधियां (7) रुपांकन प्रतियोगिताएं (8) सामान्य ज्ञान प्रश्न मंच (9)कम्प्यूटर शिक्षा दैनिक अध्यापन कार्य के पश्चात ही पाठ्येत्तर क्रियाकलाप होंगे।

शुल्क के प्रकार एवं दरें :-

शासकीय शुल्क

अ. शिक्षण शुल्क -

1.	बी. ए./बी. कॉम/बी.एस.सी.	-	140.00
2.	स्नातकोत्तर (सभी कक्षाएं) प्रतिसत्र	-	151.00
3.	प्रायोगिक शिक्षण शुल्क (सभी कक्षाएं) प्रतिसत्र (जहां लागू हो)	-	20.00
4.	स्टेशनरी शुल्क	-	2.00
5.	प्रवेश शुल्क	-	3.00

अशासकीय शुल्क -

1.	छात्र संघ शुल्क	-	3.00
2.	निर्धन छात्र कल्याणनिधि	-	5.00
3.	परिचय-पत्र	-	35.00
4.	महाविद्यालय विकास शुल्क	-	50.00
5.	सम्मिलित निधि छात्रसंघ	-	32.00
6.	सम्मिलित निधि क्रीड़ा	-	12.00
7.	वार्षिकोत्सव	-	20.00
8.	चिकित्सा शुल्क	-	5.00
9.	विभागीय पुस्तकालय शुल्क (केवल स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए)	-	40.00
10.	प्रवेश फार्म वितरण शुल्क	-	50.00
11.	आकस्मिक शुल्क	-	20.00
12.	पुन: प्रवेश शुल्क	-	5.00
13.	छात्रा कामन कक्ष	-	20.00
14.	शारीरिक शिक्षण शुल्क	-	150.00
15.	नामांकन शुल्क	-	100.00
16.	प्रवजन शुल्क (केवल बाह्य आवेदकों हेतु)	-	200.00
17.	महाविद्यालयीन आंतरिक जांच परीक्षा	-	50.00
18.	ग्रंथालय विकास शुल्क	-	30.00
19.	सुरक्षा निधि (स्नात्तक स्तर)	-	60.00
20.	सुरक्षा निधि (स्नातकोत्तर स्तर)	-	40.00
21.	रेडक्रास शुल्क	-	25.00
22.	पारवी पत्रिका शुल्क	-	50.00
23.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	-	70.00
24.	जनभागीदारी शुल्क	-	350.00
25.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन शुल्क	-	2000.00
26.	पी.जी.डी.सी.ए. शुल्क	-	5000.00
27.	वाचलनालय	-	20.00
28.	छात्र कल्याण	-	30.00

नोट :- (1) प्रवेश के समय, समस्त शासकीय एवं अशासकीय शुल्क एक साथ एक किश्त में देय होंगे।

(2) सुरक्षा निधि, महाविद्यालय छोड़ने तथा स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पश्चात लौटाई जावेगी यह राशि 3 वर्ष के अन्दर न देने पर राजसात हो जावेगी।

(3) विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क नवंबर या दिसंबर माह में वि. वि. नियमानुसार देय होगा।

शुल्क में रियायतें :-

1. शासन के नियमानुसार छात्राओं को शिक्षण शुल्क से संपूर्ण छूट प्रदान की जाती है, उन्हें केवल अन्य शुल्क देने होंगे।

2. अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति रियायतें :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क भुगतान से मुक्त है. किन्तु उन्हें अन्य शुल्क देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से या अन्य अधिकृत अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

तृतीय - चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी :- रियायतें

छ.ग. शासन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के पुत्र (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क भुगतान से मुक्त है। परन्तु उन्हें समस्त शुल्क पूरे देने होंगे। यह रियायत छात्रों को जिस कार्यालय में उनके माता-पिता सेवारत हो, उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी।

प्रवेश - पत्र :-

प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश देने के समय परिचय-पत्र दिया जायेगा। जिसे किसी भी समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मांगे जाने पर परिचय-पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में छात्र-छात्राओं को किसी भी शिक्षण कार्य शारीरिक शिक्षा, कक्षा अथवा महाविद्यालयीन समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। पुराने छात्र अपने प्रवेश के 15 दिनों के भीतर परिचय - पत्र का नवीनीकरण करा लेवें। परिचय - पत्र खो जाने, नष्ट हो जाने पर छात्र-छात्रा को शुल्क 10=00 जमा करके परिचय - पत्र की दूसरी प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। फोटो छात्र-छात्रा को देना होगा।

पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 35,000 पुस्तकें है। इससे सभी कक्षाओं के विद्यार्थी लाभांवित होते हैं। इसके अलावा महाविद्यालय में विभिन्न समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ आती है। महाविद्यालय में अलग से वाचनालय कक्ष है। जिसके खुलने का समय फलक पर समय - समय पर सूचित किया जाता है।

महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तक प्राप्त करने की सुविधा है। पुस्तक लेते समय व वापस करते समय व पत्रिकाओं के निरीक्षण व उनका अध्ययन उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। छात्र एक मय से दो पुस्तकें सामान्यत: पुस्तकालय से 14 दिनों की अवधि हेतु प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात पुस्तक वापस न करने वाले विलंब के लिए प्रतिदिन 0.25 पैसे के हिसाब से अर्थदंड देना होगा। वाचनालय की अन्य सामग्री एवं पुस्तकालय के संदर्भ ग्रंथ निर्गमित नहीं किये जावेगें। अत: छात्रगण इनका उपयोग वाचनालय की अन्य सामग्री एवं पुस्तकालय में ही करें।

टीप :- वर्तमान सत्र में सत्रांत में धनराशि जमाकर पुस्तकों के निर्गमन की व्यवस्था समाप्त की जा रही है।

अनुशासन :-

महाविद्यालय के विद्यार्थियों का अनुशासन सदैव सराहनीय रहे ऐसा प्रयास छात्रों की ओर से किया जावेगा इसी के आधार पर विद्यार्थियों को चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा, विद्यार्थियों का व्यवहार व आचरण अपने सहपाठियों के साथ अच्छा रहेगा ऐसी अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय प्रांगण व बाहर विद्यार्थी अपने विवेक से व्यवहार करें व महाविद्यालय की गौरवमयी प्रतिष्ठा को बनाएं रखोगे। महाविद्यालय के नियमों को पालन उसका कर्तव्य होगा।

अनुशासन समिति :-

विद्यार्थियों के आपसी मतभेदों व झगड़ों को निपटाने के लिए विद्यार्थियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए उन्हें हर प्रकार की नियमानुकूल सहायता देने के लिए तथा प्राचार्य को अनुशासन संबंधी कार्यों में सलाह देने के लिए प्राध्यापकों की एक समिति का प्रावधान है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा।

(1) मुख्य प्राक्टर (2) प्राक्टर (3) वरिष्ठ प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत) (4) अन्य प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत)

टिप्पणी :-

(क) अपूर्ण अथवा वांछित प्रमाण पत्रों रहित अथवा अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ख) प्रत्येक छात्र स्वयं व्यक्तिगत रुप से प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण करेगा तथा शुल्क भी स्वयं जमा करेगा। प्रत्येक छात्र से केवल उसी का शुल्क स्वीकार किया जावेगा।

(ग) प्रवेश संबंधी सभी सूचनायें छात्र स्वयं सूचना फ्लक पर देखें।

(घ) अस्थायी प्रवेश विशेष परिस्थिति में दिया जावेगा। परंतु निर्धारित अवधि तक प्रवेश को स्थायी करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र का होगा अन्यथा प्रवेश अपने आप निरस्त हो जावेगा।

(च) प्रत्येक विद्यार्थी का रविशंकर विश्वविद्यालय में नामांकन आवश्यक है। महाविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब तक छात्र को नामांकन क्रमांक प्राप्त नहीं हो जाता प्रवेश अस्थायी माना जावेगा।

(छ) प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मना कर दें। और इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।

(ज) प्रत्येक विद्यार्थी का नाम विषय की कक्षा, पुस्तकालय एन.सी.सी. यूनिट एवं क्रीड़ा के रजिस्टरों में प्रवेश प्राप्ति के बाद ही अंकित किया जावेगा।

विशेष निर्देश:-

(1) इस विवरणिका में वर्णित सभी नियमों का तथा समय-समय पर प्राचार्य द्वारा प्रसारित अन्य नियमों, आदेशों एवं सूचनाओं का पालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है।

(2) प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह महाविद्यालय के सूचना फलक को प्रतिदिन देवें इसमें छात्रों को सभी आवश्यक सूचना मिल जावेगी और गलतियों से बचेंगे।

(3) छात्र अनुशासन में रहे नियमित रुप से अपनी कक्षाओं में आकर ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं अतिरिक्त समय का सदुपयोग करें।

(4) कोई शिकायत होने पर कानून अपने हाथ में न लें, संबंधि अधिकारी से रिपोर्ट करें ताकि उचित कार्यवाही की जा सकें।

(5) अपने वाहन यथा स्थान में रखें।

(6) परीक्षा के दिनों में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें।

(7) अभिभावकों और पालकों से अपेक्षा है कि वे छात्र को उचित निर्देश दे तथा महाविद्यालय से उनके अध्ययन संबंधी शुल्क उपस्थिति एवं आचरण संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहें।

(8) छात्रों को दीपावली व ग्रीष्म अवकाश के समय घर जाने के लिए रेलवे कंसेप्शन की व्यवस्था है। इस सुविधा के लिए उचित समय पर पालक के प्रति हस्ताक्षर सहित आवेदन देना चाहिए।

(9) प्रत्येक छात्र को अपने पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के अनुसार समय - समय पर होने वाले संशोधनों एवं परिवर्तनों से अवगत रहना चाहिये। इस संबंध में महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(10) छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिये की जो छात्र महाविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है, परिषद् में पदाधिकारियों या सदस्य के रुप में कार्य करते है या किसी टीम के कप्तान या सदस्य है या विभिन्न अवसरों पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं वे छात्र तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित प्राध्यापक या अधिकारी से सत्र के अंत तक अवश्य प्राप्त कर लें। अगले सत्र में पिछला किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संभव न होगा। (केबल टी.सी. और प्रमाण-पत्र को छोड़कर)

(11) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथियां निर्धारित की जाती है। ये केवल मार्गदर्शक है और इन तिथियों तक प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय को बाध्य नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय भले ही प्रवेश देने को तैयार हो महाविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार प्रवेश बंद करने के लिए स्वतंत्र होगा। महाविद्यालय द्वारा निश्चित की गई तिथि तक सभी प्रवेश नियमानुसार पूर्ण कर लिये जावेंगे और उसके बाद शासन की पूर्वानुमति के बिना काई प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(12) उपरोक्त सभी नियमों में परिवर्तन, संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

ग्रंथालय एवं वाचनालय

अध्ययन व अध्यापन को सुचारू रूप से संचालित करने में ग्रंथालय की भूमिका आद्वितीय है। छात्रों को इनके उपयोग हेतु प्रवेशोपरांत पंजीयन कराना होता है. पुस्तकों के निर्गमन के समय परिचय-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

1. छात्र एक बार में दो पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिये प्राप्त कर सकते हैं. निर्धारित अवधि के पश्चात् पुस्तक लौटाने पर 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा.
2. छात्र/छात्रा पुस्तक ले जाने से पूर्व उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर ले. यदि पुस्तक विकृत हो या कोई पन्ना न हो तो उसकी सूचना तुरंत ग्रंथपाल को दें. पुस्तक निर्गमन के पश्चात् पुस्तक विकृत होने पर समस्त दायित्व विद्यार्थी का होगा. पुस्तक के दुगुनी कीमत के साथ 10/- रू. अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा.
3. वाचनालय में पत्र/पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है उसका निर्गमन नहीं होगा.
4. पुस्तकालय की शांति भंग करना, अव्यवस्था फैलाना, नुकसान पहुँचाना गंभीरतम अपराध है. ऐसे अपराधी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है.
5. पुस्तकें गुमने पर पुस्तक के बदले पुस्तक ली जायेगी, अथवा बाजार भाव के अतिरिक्त आर्थिक दण्ड लिया जायेगा.
6. एस.सी., एस.टी. विद्यार्थियों हेतु बुक बैंक योजना का भी प्रावधान है.

ग्रंथालय एवं वाचनालय में संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं एवं अन्य पुस्तकों का संग्रह अध्ययन हेतु उपलब्ध है तथा छात्र अपना परिचय-पत्र जमा कर ग्रंथालय में ही उनका अवलोकन/अध्ययन कर सकते हैं.

पुस्तकों की वापसी :-

1. महाविद्यालय में इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तभी प्रदान किये जायेंगे, जब वे प्रदाय की गई सभी पुस्तकें वापस करेंगे.
2. छात्र, जो 15 दिवस तक यदि महाविद्यालय में अध्ययन में अनुपस्थित होते हैं, तो उनके द्वारा ली गई पुस्तक/पुस्तकें अविलंभ प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा जाएगा.
3. पुस्तकें वापस नहीं किये जाने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
4. प्रत्येक माह प्राचार्य द्वारा संबंधित छात्र के पुस्तकें वापस नहीं किये जाने की सूचना छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, तथा संचालनालय को ऐसे समस्त छात्रों की गई कार्यवाही से अवगत कराएंगे.
5. अनुशासन समिति भी उक्त प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर करेगी.
6. संबंधित प्राध्यापक/ग्रंथपाल का उत्तरदायी होगा कि उपरोक्त प्रक्रिया अक्षरश: पालन किया जावे और उस संबंध के सभी अभिलेख व्यवस्थित रखे जायें अन्यथा पुस्तकों की वापसी न होने पर पुस्तकों की कीमत संबंधित ग्रंथपाल/प्राध्यापक से वसूल की जावेगी.
7. सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात् जो छात्र सत्र उपरांत पुस्तकें वापस नहीं करेंगे उनके खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी तथा संचालनालय को तत्संबंधी सूचना देंगे.

विषेष :- महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित साहित्य उपलब्ध है. विद्यार्थी वाचनालय में बैठकर उसका अध्ययन कर सकेंगे.

शारीरिक शिक्षा विभाग

विद्यार्थियों के चहुमुंखी विकास के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है. राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके विद्यार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य शासन द्वारा घोषित नीति के तहत छात्र/छात्रा को किसी न किसी खेल में प्रतिभागी होना अनिवार्य है. महाविद्यालय में निम्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण देकर राज्य स्तरीय, विश्वविद्यालयीन स्तर प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन क्रीड़ा समिति के तत्वावधान में किया जाता है -

1. क्रिकेट (म. पु.)
2. बैडमिन्टन (म. पु.)
3. हॉकी
4. फुटबॉल
5. कबड्डी (म. पु.)
6. व्हालीबॉल (म. पु.)
7. शतरंज (म. पु.)
8. खो-खो (म. पु.)
9. टेबिल-टेनिस (म. पु.)
10. एथलेटिक्स (म. पु.)

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है.
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है.
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाएगा.
4. उपस्थित की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जाएगी.
5. कम उपस्थित वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जाएगी.
6. उपस्थित की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जाएगी.
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकता है.
8. सत्र 2006-2007 से आधार पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण होने के लिये पृथक-पृथक 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.
9. महाविद्यालय में त्रैमासिक अथवा अद्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक पूर्व परीक्षा आयोजित होती है जिसमें बैठना अनिवार्य है. विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों को अवगत कराया जायेगा.

छात्र-पालक समिति

महाविद्यालय में छात्र-पालक समिति का गठन किया गया है. विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों की बैठक बुलाकर जानकारी दी जावेगी तथा पालकों से आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किये जावेंगे.

छत्तीसगढ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों के लिए

बी.पी.एल. बुक बैंक योजना

राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसार अनुमोदित

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए नि:शुल्क बुक बैंक योजना स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :-

ये नियम छत्तीसगढ बी.पी.एल. बुक बैंक योजना, 2005 कहलाएंगे और आदेश प्रसारित होने के दिनांक से प्रभावी होंगे, छत्तीसगढ राज्य के सभी शासकीय महाविद्यालयों में यह योजना लागू की जाएगी.

2. सामान्य शर्तें एवं पात्रता:-

1. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र धारी परिवार के छात्र- छात्राओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्हें राज्य शासन अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. (महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों के साथ बी.पी.एल. प्रमाण को भी संलग्न करने का उल्लेख महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका में किया जाए.)
2. जो छात्र नियमित रूप से महाविद्यालय में अध्ययन एक महीने करेंगे, उन्हें ही बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें प्रदान की जाएगी.
3. प्रदाय करने की अवधि :- योजना के अंतर्गत नियमित छात्र/छात्राओं के स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकें महाविद्यालय द्वारा खरीद कर प्रदान की जाएगी.

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया

नियमोपनियम

महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखता है कि :-

1. महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश मूलत: विद्या अध्ययन के लिये हुआ है. छात्र होने के नाते उसका ज्ञान, उत्साह एवं व्यक्तित्व उसके क्रियाकलापों से परिलक्षित होना चाहिए.
2. महाविद्यालय के समस्त नियम विद्यार्थियों को संस्था की गरिमा बनाए रखते हुए महाविद्यालयीन संसाधनों के अनुकूल उपलब्ध व्यवस्था का उपयोग करते हुए अध्ययन करना चाहिए.
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थी दलगत राजनीति व प्रदर्शन से दूर रहते हुए शांति व्यवस्था को बनाये रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन में अपना सहयोग देंगे.
4. उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त होने वाले आदेशों, निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे.
5. प्राचार्य को यह अधिकार है कि निम्न कारणों के संदर्भ में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकता है :-
   (अ) अध्यादेश क्र.6 नियम (13) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के उल्लंघन करने पर.
   (ब) निर्धारित समय के अंत तक महाविद्यालय शिक्षण शुल्क या अन्य देयताओं के भुगतान न करने पर.
   (स) प्राचार्य की सम्मति से विद्यार्थी का आचरण संतोष जनक न होने पर.
   (द) जिलाध्यक्ष/आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त काली सूची में नाम शामिल होने पर.
   (इ) किसी भी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर.
6. अपरिहार्य कारणों से महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को 15 दिन पूर्व व विशिष्ट कारणों पर 7 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
7. प्राचार्य को विवरण पत्रिका में दिये गये नियमों में संशोधन का अधिकार है. विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित कर दे, इस संबंध में कानूनी कार्यवाही का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है.

-: छात्रवृत्तियां :-

1. **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति**
   पोस्ट मैट्रिक आदिम जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति की पात्रता निम्नानुसार होगी :-
   अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आय सीमा - 200000. 00 (दो लाख से अधिक न हो)
   पिछड़ा वर्ग - 100000.00 (एक लाख से अधिक न हो)
   संलग्न - आय की मूल प्रति , जाति (तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित) एवं अंकसूची की छायाप्रति, गेप होने पर गेप सर्टिफिकेट, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति। (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑन लाईन द्वारा भरा जावेगा।)
2. **बी. पी. एल. छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा से नीचे)**
   छात्र - छात्रा के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारी हो।
   संलग्न - आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति (24000.00 से अधिक न हो) तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, जातिप्रमाण पत्र, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, इलाहाबाद बैंक का खाता क्रमांक की छायाप्रति।
3. **योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त छात्र-छात्राओं को)**
   संलग्न - आय 1 लाख से अधिक न हो आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति।
4. **केन्द्रीय छात्रवृत्ति (80 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्राओं को)**
   संलग्न - बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति , प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, नोटरी द्वारा शपथ पत्र आय की मूलप्रति।

नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को अपना खाता स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक, डोंगरगढ़ में खोलना अनिवार्य है.

बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति

नवगठित छत्तीसगढ प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की योजना लागू की जानी है जो निर्धनता एवं संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति के आधार पर विशेष रूप से देय होगी. कृषि प्रधान छत्तीसगढ राज्य में जहाँ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार काफ़ी संख्या में निवास करते हैं, जिनके बच्चे किसी तरह से स्कूल शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, क्यों कि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते या भुगतान करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है, ऐसे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में सुविधा प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है.

उद्देश्य :-

इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य छतीसगढ में स्नातक/स्नातकोत्तर के कक्षाओं में पढने वाले बी.पी.एल. वर्ग के छात्र /छात्राओं को वित्तीय सहायता के रूप में सहयोग प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके.

इस प्रकार ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश सुनिश्चित करने एवं उच्च शिक्षा के साथ उनका आत्मविश्वास संवर्धन करने के लिए बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना प्रस्तुत की जा रही है.

1. एकीकृत पुनरीक्षित छात्रवृत्ति निगम 1968 म.प्र. के तहत बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति नियम 2005 छत्तीसगढ बनाया जा रहा है.
2. यह बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति नियम 2005 कहलाएगा.
3. इन नियमों में :-
   - (क) छात्रवृत्ति से तात्पर्य ऐसे छात्र/छात्राओं के लिए नियतकालीन भुगतानों से है जिनके माता/पिता छत्तीसगढ राज्य में शासकीय प्रावधानों के तहत बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के नीचे) कार्डधारी हो तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर सामान्य शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत हो.
   - (ख) इस छात्रवृत्ति से तात्पर्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं आगे अध्ययन जारी रखने के इच्छुक छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन देने हेतु किये गये नियतकालीन भुगतानों से है.
   - (ग) संतोषजनक प्रगति से तात्पर्य प्रथम प्रयास में वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से है.
   - (घ) नियमित विद्यार्थी से तात्पर्य किसी छात्र/छात्रा को मंडल/विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होने हेतु मंडल/विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित उपस्थिति के न्यूनतम प्रतिशत से है.
   - (ड) नियमित प्रवेश हेतु पात्रता का परीक्षण कर लिया जाए.
4. **भुगतान :-**
   - (क) छात्रवृत्ति राशि DBT के तहत विद्यार्थी के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है ।
   - (ख) विवाहित छात्राओं के लिए :-
     - (क) प्रसूति के कारण तीन माह तक अनुपस्थिति पर पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी.
     - (ख) यदि ऐसी अनुपस्थिति तीन माह से अधिक हो तो कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी.

उपर्युक्त स्थिति में छात्रवृत्ति तभी दी जाएगी जब संस्था प्रमुख आवदेन पत्र पर सिफ़ारिश करें और यह प्रमाणित करें कि छात्र/छात्रा अध्ययन की शेष अवधि के दौरान अपने अध्ययन की कमी को पूरा कर सकेगा.

5. नवीनीकरण, निलंबन रद्द करना :-

(1) नियमों के अधीन छात्रवृत्ति छात्र की संतोषजनक प्रगति, सदाचरण व अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उस अध्ययन क्रम की अवधि पूरी होने तक, जिसके लिए वह दी गई हो, प्रतिवर्ष नवीनीकृत की जावेगी.

(2) यदि किसी छात्र को पूरक मिले तो छात्रवृत्ति निलंबित कर दी जाएगी तथा यदि वह पूरक परीक्षा में उसी वर्ष उत्तीर्ण हो जाए तो उसकी छात्रवृत्ति नवीनीकृत कर दी जाएगी,ऐसी नवीनीकरण पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख को प्रभावी होगी, लेकिन पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी.

(3) सदाचार तथा नियमित उपस्थिति भी छात्रवृत्ति को जारी रखने का शर्त है.

1. पूरी छात्रवृत्ति, यदि अनुपस्थिति दो माह से अधिक न हो.
2. आधी छात्रवृत्ति, यदि ऐसी अनुपस्थिति 2 माह से अधिक किन्तु 4 माह से अधिक न हो

(4) अर्हकारी परीक्षा से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण कर पाने पर कोई भी उम्मीदवार अध्ययन के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अर्ह हो जाए.

6. 1. सामान्य नियम व शर्तें :-

इस छात्रवृत्ति का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से आने वाले सभी छात्र/छात्राओं को प्रदान किया जाएगा.

1. छात्र छत्तीसगढ़ का निवासी हो.
2. छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो.
3. यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र/छात्राओं को दी जाएगी जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो.
4. छात्रवृत्ति पाने वाले किसी छात्र का राज्य के भीतर किसी एक शिक्षण संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण होने पर उसे स्थानांतरित की गई संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, बशर्ते कि वह उसी अध्ययन क्रम को जारी रखे जिसके लिए प्रारंभ में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी.
5. छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य शासन अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया बी.पी.एल. कार्ड/प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

2. **अवधि :-**नियमों के अधीन छात्रवृत्ति अवधि 10 माह के शिक्षा वर्ष जुलाई से अप्रैल तक दी जाएगी.

7. बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की दर :-

छात्रवृत्ति का नाम	पाठ्यक्रम	निर्धारित संख्या	अवधि	दर
बी.पी.एल.	स्नातकोत्तर	-	10 माह	500/-प्रतिमाह
छात्र कल्याण छात्रवृत्ति	स्नातक	-	10 माह	300/-प्रतिमाह

महाविद्यालय के प्राचार्य एक समिति के परामर्श से जिसमें प्राचार्य तथा शिक्षक (प्राध्यापक) वर्ग के दो वरिष्ठतम् सदस्य होंगे, नियमों के अधीन बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों की सूची बनाकर अनुशंसित करेंगे.

छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011(क्रमांक 23 सन् 2011) तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम 2011

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय :- **डॉ. के.एल. टाण्डेकर, प्राचार्य**
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

स. क्र.	अधिसूचित लोकसेवा	आवेदन के साथ सलंग्न किए जाने वाले दस्तावेज की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय सीमा	सक्षम प्रदान अधिकारी का नाम एवं पद नाम	अपील प्राधिकारी नाम,पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	आवेदन पत्र, परिचय पत्र, जमा रसीद की मूल प्रति	15 दिन	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
2.	महाविद्यालय के प्रवेश के लिए आवेदनों का निपटारा निर्धारित	आवेदन पत्र के साथ मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विगत उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची, छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र, गेप होने की स्थिति में गेप सर्टिफिकेट, विगत परीक्षा छ.ग. के बाहर के बोर्ड/वि.वि. से परीक्षा उत्तीर्ण की दशा में प्रवेश हेतु पं.रवि.वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होगा. डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में थाना में रिपोर्ट की गई एफ.आई.आर. की प्रति एवं वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, पूर्व वर्ष में नियमित विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा.	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथी तक	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
3.	अ.छात्रवृत्ति स्वीकृति	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन विगत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं नियमानुसार आय, जाति, निवास, परिचय पत्र एवं रसीद की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा.	30 दिन के भीतर	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
4.	ब. छात्रवृत्ति स्वीकृति	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में अपना खाता खोलवाकर खाता नं. कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, छात्रवृत्ति का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा, छात्रवृत्ति का चेक प्राप्त करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस

5.	पुस्तकों का प्रदाय	स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 2 पुस्तकें एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 4 पुस्तकें 15 दिन के लिए निर्गमित किया जाता है. ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा,अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पुस्तकें प्रदाय की जाएगी	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय	45
6.	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन पत्र के साथ संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर संलग्न करना, विगत नियमित परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची की छायाप्रति, परिचय पत्र, आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा, परिचय पत्र गुम हो जाने की दशा में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा.	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय	45
7.	परिचय पत्र जारी करना	स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ 2 पासपोर्ट फोटो लगाना आवश्यक है, भाग-दो, तीन एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म में विगत वर्ष जारी परिचय पत्र लगाना होगा.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय	45
8.	छात्रावास में प्रवेश	निर्धारित आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी भरकर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा जिसे संबंधित छात्रावास को अग्रेषित किया जाएगा.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय	45
9.	मार्कशीट	अंकसूची प्राप्त करने हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र, विशेष परिस्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय	45
10.	चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ दिया जाएगा, विशेष परिस्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय	45

1. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कक्ष क्रं.	**श्री नितिन शाडिल्य** सहायक ग्रेड - 3 स्थापना शाखा
2. अपील प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा	सक्षम अधिकारी के विनिश्चय विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर

उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर

1. उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है. विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन/अध्यापन के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है. जिनका शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर विभाग एवं विश्वविद्यालय का नियंत्रण है.

2. जन साधारण के अपेक्षाओं के अनुरूप महाविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने के कार्य में उच्च शिक्षा विभाग प्रयासरत है. शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित कार्यों के संबंध में समय-समय पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

स. क्र.	विवरण	जिम्मेदारी अधिकारी	समय सीमा	निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही न होने की दशा में किस स्तर के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है
1	2	3	4	5
1.	सभी प्रकार के रिकार्डों का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा
2.	महावि. के लिए प्राचार्य द्वारा क्रय की गई सामग्री देयकों का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य		

3. उपरोक्त कॉलम -2 में अंकित अधिकारी के समय-सीमा में कार्यवाही न किये जाने की शिकायत या अन्य प्रकार की शिकायत भी की जा सकती है.मंत्रालय स्तर पर अपर सचिव. उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जन शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते है. आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य को जन शिकायत निराकरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है. शिकायतों के निराकरण के लिए महाविद्यालय स्तर पर एवं संभाग स्तर पर 15 दिन तथा राज्य स्तर पर 30 दिन की समय सीमा निश्चित की गई है.

प्रमुख सचिव

छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग

शास. नेहरु महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्राचार्य - डॉ. के. एल. टाण्डेकर

राजपत्रित पद :-

कला संकाय :-

हिन्दी - 1.प्राध्यापक पद रिक्त - 01
2.सहायक प्राध्यापक पद रिक्त - 02

अर्थशास्त्र - 1.प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
2.श्री आर. आर. कोचे (सहा. प्रा.)

राजनीति शास्त्र - 1.प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
2.डॉ. प्रदीप कुमार जाम्बुलकर, सहा. प्राध्यापक

भूगोल - 1.प्राध्यापक, पद रिक्त - 01 2. सहा. प्राध्यापक 01 रिक्त

इतिहास - 1.प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
2.डॉ. श्रीमती चौधरी, सहा. प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)

अंग्रेजी - 1.प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
2.सहा. प्राध्यापक - 01 रिक्त

गृहविज्ञान - 1.सहायक प्राध्यापक, पद रिक्त 01 रिक्त

वाणिज्य संकाय - 1. प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
2.डॉ. श्रीमती ई. व्ही. रेवती, सहा. प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष)
3.सहा. प्राध्यापक पद रिक्त - 02

विज्ञान संकाय :-

प्राणिशास्त्र - 1.प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
2.श्री भरत सिवारे, सहा. प्राध्यापक

भौतिक शास्त्र - 1.सहा. प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
- अध्यापक पद रिक्त - 01

रसायन शास्त्र - 1.सहा. प्राध्यापक, पद रिक्त - 02

वनस्पति शास्त्र - 1.पद रिक्त - 01

गणित - 1.प्राध्यापक, पद रिक्त - 01
2.पद रिक्त - 01

ग्रंथालय - 1.श्री नितेश कुमार तिरपुड़े

क्रीड़ा अधिकारी - 1.डॉ. मुन्नालाल नंदेश्वर

कम्प्यूटर साईंस - 1.सहा. प्राध्यापक पद रिक्त - 01

अराजपत्रित पद :-

सहायक ग्रेड 2 - 1. कु. सोहद्रा उइके

सहायक ग्रेड 3 - 1. श्री नवनीत बोरकर
2. श्री नितिन शांडिल्य

प्रयोशाला तकनीशियन

1. श्री बी. एस. मंडावी (वनस्पति) 2. श्री के. जी. सोनकर (रसायन शास्त्र)
3. श्री बी. आर. कोसले (भूगोल) 4. श्री संजय तिवारी (भौतिक शास्त्र)
5. श्री विवेक श्रीवास (प्राणीशास्त्र)

प्रयोशाला परिचायक - पद रिक्त 06
1. शरदलाटा 2. खेमलाल धनेन्द्र

बुक लिफ्टर - 1. श्री सुशील कुमार सोनवानी

भृत्य - 1. पद रिक्त
2. श्रीमति चित्रा खोब्रागढ़े

पंप अटेंडेन्ट - 1. पद रिक्त - 01

चौकीदार - 1. श्री झंगलु राम साहू

चौकीदार - 1. श्री शैलेन्द्र यादव

महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की संख्या

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरें पद	रिक्त पद	अतिशेष
1.	प्राचार्य	01	01	--	--
2.	प्राध्यापक	10	--	10	--
3.	सहा. प्राध्यापक	19	05	14	--
4.	क्रीड़ा अधिकारी	01	01	--	--
5.	ग्रंथपाल	01	01	--	--
6.	सहायक ग्रेड-1	01	00	01	--
7.	सहायक ग्रेड - 2	01	01	--	--
8.	सहायक ग्रेड - 3	02	02	--	--
9.	प्रयोगशाला तकनीशियन	05	05	--	--
10.	प्रयोगशाला परिचायक	06	02	04	--
11.	भृत्य	02	01	01	--
12.	चौकीदार	01	01	--	--
13.	पंप अटेंडेंट	01	--	01	--
14.	स्वीपर	01	01	--	--
15.	बुक लिफ्टर	01	01	--	--